



कार्यालयमुख्य चुनाव अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

पुराना सेंट स्टीफन कॉलेज भवन  
कश्मीरी गेट, दिल्ली -110006

Old St. Stephen's College Building  
Kashmere Gate, Delhi-110006

No.CEO/COE/102(54)/2024/803

Dated : 25/03/2026

To,

Sh. Rakesh Kumar,  
Secretary, Election Commission of India,  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road,  
New Delhi-110001.

Sub: Commission's Order – Disqualified Persons Gazette Notification – reg.

Madam/Sir,

I am directed to forward herewith three copies of Delhi gazette containing Election Commission of India's Notification No. 76/DL-LA/24/2025/CEMS-I dated 11.03.2026 regarding disqualified persons, for kind information and record of the Commission.

Yours Sincerely,

Encl: As above.

(T. MISAO)

Dy. Chief Electoral Officer (COE)

Copy to:

1. PS to CEO/PS to Joint CEO, Office of CEO, Delhi.
2. District Election Officer, New Delhi district, NCT of Delhi.
3. Dy. Director (IT), O/o CEO, Delhi with the request to upload the same on website of CEO, Delhi in the link "**List of Disqualified Persons**" and "**Latest Updates**".

Dy. Chief Electoral Officer (COE)

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-सा.-23032026-271193  
SG-DL-W-23032026-271193

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 3] दिल्ली, मार्च 13—मार्च 19, 2026, बृहस्पतिवार/फाल्गुन 22—फाल्गुन 28, 1947 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 503 से 504  
No. 3] DELHI, MARCH 13—MARCH 19, 2026, THURSDAY/PHALGUNA 22—PHALGUNA 28, 1947 [N.C.T.D. No. 503 to 504

भाग II खण्ड 1  
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन  
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters; reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली  
अधिसूचना

दिल्ली, 13 मार्च, 2026

सं०—मु०चु०अ०/चु०सं०/102(54)/2024/786.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग  
आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/भा०नि०आ०/दिल्ली-वि०स०/2025 दिनांक 10 जनवरी, 2025 के अनुसरण में 24-पटेल नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधान सभा

का साधारण निर्वाचन, 2025 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 24-पटेल नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2025 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 08 फरवरी, 2025 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 मार्च, 2025 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली से उनके दिनांक 26.03.2025 के पत्र सं. CEO/COE/102(121)/2024/1637, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की दिनांक 11.03.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री अशोक कुमार, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 24-पटेल नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2025 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री अशोक कुमार को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/दिल्ली वि०स०/व्यय लेखा/2025/सी०ई०एम०एस०-1, दिनांक 29.04.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री अशोक कुमार को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री अशोक कुमार को दिनांक 07.05.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 16.07.2025, के द्वारा सूचित किया है कि श्री अशोक कुमार ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री अशोक कुमार द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

*“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-*

- (क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा
- (ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरहित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अशोक कुमार अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 24-पटेल नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री अशोक कुमार, निवासी- मकान संख्या टी-516/2, बुद्ध मंदिर के पास, बलजीत नगर, दिल्ली, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/दिल्ली-वि0स0/24/2025/सीईएमएस-1]

राकेश कुमार, सचिव

आदेश से,

बलराम मीना, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

**OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI**  
**NOTIFICATION**

Delhi, the 13th March, 2026

**No. CEO/COE/102(54)/2024/786.**—The following is published for general information:—

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

**ORDER**

New Delhi, the 11th March, 2026

**WHEREAS**, the General Election to Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025 for **24-Patel Nagar** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/DL-LA/2025, dated 10<sup>th</sup> January, 2025; and

**WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

**WHEREAS**, the result of the election for **24-Patel Nagar** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 was declared by the Returning Officer on 8<sup>th</sup> February, 2025 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> March, 2025; and

**WHEREAS**, as per the report dated 11.03.2025 of **DEO, New Delhi** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, **Delhi** vide his letter No. CEO/COE/102(121)/2024/1637 dated 26.03.2025, **Sh. Ashok Kumar**, a contesting candidate from **24-Patel Nagar** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

**WHEREAS**, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. **76/दिल्ली वि0स0/व्यय लेखा/2025/सी0ई0एम0एस0-I, dated 29<sup>th</sup> April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Ashok Kumar**, for not lodging of account of Election Expenses; and

**WHEREAS**, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Ashok Kumar**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses with the District Election Officer, **New Delhi**, District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

**WHEREAS**, the Chief Electoral Officer, Delhi, has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Ashok Kumar**, on dated **07.05.2025**; and

**WHEREAS**, the District Election Officer, **New Delhi** in his Supplementary Report dated 16.07.2025 has

reported that **Sh. Ashok Kumar**, has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Ashok Kumar** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

**WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

*“If the Election Commission is satisfied that a person-*

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

*the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.”;*

**WHEREAS**, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Ashok Kumar**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

**NOW, THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Ashok Kumar, R/o House No. T-516/2, Near Budh Mandir, Baljit Nagar, Delhi** and a contesting candidate from **24-Patel Nagar** Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/DL-LA/24/2025/CEMS-I]

RAKESH KUMAR, Secy.

By Order,

BALRAM MEENA, Jt. Chief Electoral Officer, Delhi

### अधिसूचना

दिल्ली, 13 मार्च, 2026

सं०-मु०चु०अ०/चु०सं०/102(54)/2024/787.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

### भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/भा०नि०आ०/दिल्ली-वि०स०/2025 दिनांक 10 जनवरी, 2025 के अनुसरण में 39-राजेन्द्र नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2025 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 39-राजेन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2025 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 08 फरवरी, 2025 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 मार्च, 2025 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली से उनके दिनांक 26.03.2025 के पत्र सं. CEO/COE/102(121)/2024/1637, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन

अधिकारी, नई दिल्ली की दिनांक 11.03.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री उमंग, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 39-राजेन्द्र नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2025 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री उमंग को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/दिल्ली वि0स0/व्यय लेखा/2025/सी0ई0एम0एस0-I, दिनांक 29.04.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री उमंग को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री उमंग को दिनांक 15.05.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 16.07.2025, के द्वारा सूचित किया है कि श्री उमंग ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री उमंग द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

*“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-*

*(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा*

*(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,*

*तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;*

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री उमंग अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 39-राजेन्द्र नगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री उमंग, निवासी- 1-एन, ए -ब्लाक, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली-110018, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/दिल्ली-वि0स0/39/2025/सीईएमएस-I]

राकेश कुमार, सचिव

आदेश से,

बलराम मीना, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

**NOTIFICATION**

Delhi, the 13th March, 2026

**No. CEO/COE/102(54)/2024/787.**—The following is published for general information:—**ELECTION COMMISSION OF INDIA****ORDER**

New Delhi, the 11th March, 2026

**WHEREAS**, the General Election to Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025 for **39-Rajinder Nagar** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/DL-LA/2025, dated 10<sup>th</sup> January, 2025; and

**WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

**WHEREAS**, the result of the election for **39-Rajinder Nagar** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 was declared by the Returning Officer on 8<sup>th</sup> February, 2025 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> March, 2025; and

**WHEREAS**, as per the report dated 11.03.2025 of **DEO, New Delhi** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, **Delhi** vide his letter No. CEO/COE/102(121)/2024/1637 dated 26.03.2025, **Sh. Umang**, a contesting candidate from **39-Rajinder Nagar** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

**WHEREAS**, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. **76/दिल्ली वि०स०/व्यय लेखा/2025/सी०ई०एम०एस०-I**, dated **29<sup>th</sup> April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Umang**, for not lodging of account of Election Expenses; and

**WHEREAS**, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Umang**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses with the District Election Officer, **New Delhi**, District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

**WHEREAS**, the Chief Electoral Officer, Delhi, has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Umang**, on dated **15.05.2025**; and

**WHEREAS**, the District Election Officer, **New Delhi** in his Supplementary Report dated 16.07.2025 has reported that **Sh. Umang**, has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Umang** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

**WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

*"If the Election Commission is satisfied that a person-*

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

*the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

**WHEREAS**, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Umang**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

**NOW, THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Umang, R/o 1-N, A Block, Vishnu Garden, New Delhi-110018** and a contesting candidate from **39-Rajinder Nagar** Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/DL-LA/39/2025/CEMS-I]

RAKESH KUMAR, Secy.

By Order,

BALRAM MEENA, Jt. Chief Electoral Officer, Delhi

### अधिसूचना

दिल्ली, 13 मार्च, 2026

सं०-मु०चु०अ०/चु०सं०/102(54)/2024/788.— निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

### भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं 464/भा०नि०आ०/दिल्ली-वि०स०/2025 दिनांक 10 जनवरी, 2025 के अनुसरण में 40-नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2025 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 40-नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2025 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 08 फरवरी, 2025 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 मार्च, 2025 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली से उनके दिनांक 26.03.2025 के पत्र सं. CEO/COE/102(121)/2024/1637, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की दिनांक 11.03.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री विरेन्द्र, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 40-नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2025 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री विरेन्द्र को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/दिल्ली वि०स०/व्यय लेखा/2025/सी०ई०एम०एस०-1, दिनांक 29.04.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री विरेन्द्र को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना

अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री विरेन्द्र को दिनांक 07.05.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 16.07.2025, के द्वारा सूचित किया है कि श्री विरेन्द्र ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री विरेन्द्र द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री विरेन्द्र अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 40-नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री विरेन्द्र, निवासी- ए-302, भूतल, ए-ब्लॉक, खानपुर, जे जे कॉलोनी, डॉ अंबेडकर नगर, नई दिल्ली- 110062, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/दिल्ली-वि0स0/40/2025/सीईएमएस-1]

राकेश कुमार, सचिव

आदेश से,

बलराम मीना, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

## NOTIFICATION

Delhi, the 13th March, 2026

**No. CEO/COE/102(54)/2024/788.**—The following is published for general information:—

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### ORDER

New Delhi, the 11th March, 2026

**WHEREAS**, the General Election to Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025 for **40-New Delhi** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/DL-LA/2025, dated 10<sup>th</sup> January, 2025; and

**WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election

Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

**WHEREAS**, the result of the election for **40-New Delhi** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 was declared by the Returning Officer on 8<sup>th</sup> February, 2025 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> March, 2025; and

**WHEREAS**, as per the report dated 11.03.2025 of **DEO, New Delhi** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, **Delhi** vide his letter No. CEO/COE/102(121)/2024/1637 dated 26.03.2025, **Sh. Virender**, a contesting candidate from **40-New Delhi** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

**WHEREAS**, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. **76/दिल्ली वि०स०/व्यय लेखा/2025/सी०ई०एम०एस०-I, dated 29<sup>th</sup> April, 2025** was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Virender**, for not lodging of account of Election Expenses; and

**WHEREAS**, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Virender**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses with the District Election Officer, **New Delhi**, District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

**WHEREAS**, the Chief Electoral Officer, Delhi, has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Virender**, on dated **07.05.2025**; and

**WHEREAS**, the District Election Officer, **New Delhi** in his Supplementary Report dated 16.07.2025 has reported that **Sh. Virender**, has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Virender** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

**WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

*"If the Election Commission is satisfied that a person-*

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

*the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

**WHEREAS**, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Virender**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

**NOW, THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Virender, R/o A-302, Ground Floor, A-Block, Khanpur, JJ Colony, Dr. Ambedkar Nagar, New Delhi-110062** and a contesting candidate from **40-New Delhi** Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/DL-LA/40/2025/CEMS-I]

RAKESH KUMAR, Secy.

By Order,

BALRAM MEENA, Jt. Chief Electoral Officer, Delhi

**अधिसूचना**

दिल्ली, 13 मार्च, 2026

सं०-मु०चु०अ०/चु०सं०/102(54)/2024/789.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

**भारत निर्वाचन आयोग****आदेश**

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026

यतः, भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं. 464/भा०नि०आ०/दिल्ली-वि०स०/2025 दिनांक 10 जनवरी, 2025 के अनुसरण में 40-नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2025 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 40-नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2025 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 08 फरवरी, 2025 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 मार्च, 2025 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) के अंतर्गत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली से उनके दिनांक 26.03.2025 के पत्र सं. CEO/COE/102(121)/2024/1637, के तहत प्राप्त जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की दिनांक 11.03.2025 की रिपोर्ट के अनुसार, श्री हैदर अली, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 40-नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2025 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत श्री हैदर अली को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस सं. 76/दिल्ली वि०स०/व्यय लेखा/2025/सी०ई०एम०एस०-1, दिनांक 29.04.2025 को जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त उक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, श्री हैदर अली को लेखा दाखिल न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली जिला को अपने निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली ने अपने पत्र द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री हैदर अली को दिनांक 07.05.2025 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली ने अपनी अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 16.07.2025, के द्वारा सूचित किया है कि श्री हैदर अली ने निर्वाचन व्यय के लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत, श्री हैदर अली द्वारा विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखे दाखिल करने में अपनी असफलता के लिए भारत

निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:-

“ यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री हैदर अली अपने निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के 40-नई दिल्ली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री हैदर अली, निवासी- डी. एस. अंध महाविद्यालय, पी के रोड, नई दिल्ली, जी पी ओ सेंट्रल, दिल्ली-110001, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

[सं. 76/दिल्ली-वि0स0/40/2025/सीईएमएस-1]

राकेश कुमार, सचिव

आदेश से,

बलराम मीना, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

## NOTIFICATION

Delhi, the 13th March, 2026

**No. CEO/COE/102(54)/2024/789.**—The following is published for general information:—

### ELECTION COMMISSION OF INDIA

#### ORDER

New Delhi, the 11th March, 2026

**WHEREAS**, the General Election to Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025 for **40-New Delhi** Assembly Constituency was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 464/ECI/DL-LA/2025, dated 10<sup>th</sup> January, 2025; and

**WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be a true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

**WHEREAS**, the result of the election for **40-New Delhi** Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 was declared by the Returning Officer on 8<sup>th</sup> February, 2025 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 10<sup>th</sup> March, 2025; and

**WHEREAS**, as per the report dated 11.03.2025 of **DEO, New Delhi** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 received through the Chief Electoral Officer, **Delhi** vide his letter No. CEO/COE/102(121)/2024/1637 dated 26.03.2025, **Sh. Haidar Ali**, a contesting candidate from **40-New Delhi**

Assembly Constituency of National Capital Territory of Delhi, 2025 has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

**WHEREAS**, on the basis of the said report of the District Election Officer, a 'Show-Cause Notice' No. 76/दिल्ली वि०स०/व्यय लेखा/2025/सी०ई०एम०एस०-I, dated 29<sup>th</sup> April, 2025 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Haidar Ali**, for not lodging of account of Election Expenses; and

**WHEREAS**, through the above said 'Show Cause Notice' and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Haidar Ali**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge the account of election expenses with the District Election Officer, **New Delhi**, District within 20 days from the date of receipt of the notice; and

**WHEREAS**, the Chief Electoral Officer, Delhi, has reported that the said 'Show Cause Notice' was served to **Sh. Haidar Ali**, on dated 07.05.2025; and

**WHEREAS**, the District Election Officer, **New Delhi** in his Supplementary Report dated 16.07.2025 has reported that **Sh. Haidar Ali**, has not submitted any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Haidar Ali** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India for failure to lodge the account of his election expenses as prescribed under law; and

**WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

*"If the Election Commission is satisfied that a person-*

- (a) *has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*
- (b) *has no good reason or justification for the failure,*

*the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."*

**WHEREAS**, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Haidar Ali**, has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

**NOW, THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Haidar Ali, R/o D.S. Andh Mahavidhyalaya, P.K. Road, New Delhi, GPO Central, Delhi-110001** and a contesting candidate from **40-New Delhi** Assembly Constituency in General Election to the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi, 2025, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[No. 76/DL-LA/40/2025/CEMS-I]

RAKESH KUMAR, Secy.

By Order,

BALRAM MEENA, Jt. Chief Electoral Officer Delhi,

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 28 फरवरी, 2026

सं. 18/स्था./ई-1 /डी.एच.सी.—इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 102/स्था./ई-1/डी.एच.सी. दिनांक 28.11.2025 की निरंतरता में माननीय मुख्य न्यायाधीश इस न्यायालय की स्थापना में निम्नलिखित नियुक्ति सहर्ष करते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम तथा धारित पद	पद जिस पर नियुक्ति हुई	टिप्पणी
1.	श्री राजीव कुमार चौहान स्थानापन्न निबंधक	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 में अस्थायी निबंधक (सातवें वेतन आयोग के अनुसार)	दिनांक 01.03.2026 से श्री ओम प्रकाश नारंग, निबंधक की दिनांक 28.02.2026 को सेवानिवृत्ति के परिणामतः उपलब्ध रिक्त पद के प्रति।

नोट:- अधिसूचना सं. 102/स्था./ई1-1/डी.एच.सी. दिनांक 28.11.2025 में श्री राजीव कुमार चौहान, की स्थानापन्न निबंधक के रूप में नियुक्ति पर लगाई गई शर्त हटाई जाती है।

आदेशानुसार,  
आलोक मदान, निबंधक (स्थापना-1)

**HIGH COURT OF DELHI : NEW DELHI  
NOTIFICATION**

Delhi, the 28th February, 2026

**No. 18/Estt./EI-1/DHC.**— In continuation to this Court's Notification No. 102/Estt./EI-1/DHC dated 28.11.2025, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make the following appointment on the establishment of this Court:-

Sl. No.	Name of the Officer & post held	Post to which appointed	Remarks
1.	Mr. Rajeev Kumar Chauhan Officiating Registrar	Temporary Registrar in Level 15 of Pay Matrix (as per 7 <sup>th</sup> Pay Commission)	With effect from 01.03.2026 against the vacancy becoming available upon retirement of Mr. Om Parkash Narang, Registrar on 28.02.2026

**NOTE:-**The condition imposed on appointment of Mr. Rajeev Kumar Chauhan, Officiating Registrar, vide Notification No. 102/Estt./EI-1/DHC dated 28.11.2025, stands removed.

By Order,  
ALOK MADAN, Registrar (Establishment-I)